10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(71)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र.ग्वालियर केम्प भोपाल

पुनरीक्षण कं...3403......./16

निग 3403-PBR-16

श्रीमती गोमती बाई

विधवा स्व0 श्री कोमल सिंह मृत द्वारा उत्तराधिकारीगण

1. बलराम सिंह, वयस्क
2. देवेन्द्र सिंह, वयस्क
3. विक्रम सिंह, वयस्क
4. सुखदेव सिंह, वयस्क
5. मनोज कुमार, वयस्क
6. कृष्णपाल सिंह, वयस्क

सभी जाति-राजपूत,

सभी पुत्रगण-स्व0 श्री कोमल सिंह

सभी निवासीगण-ग्राम इमलिया,

तहसील सिलवानी, जिला रायसेन म.प्र.

7. हीरा बाई पुत्री लक्ष्मण सिंह

पत्नि नेतसिंह राजपूत

निवासी-ग्राम चंदन पिपलिया

तहसील सिलवानी जिला रायसेन -- पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

1. केशव सिंह, वयस्क,

आ0 श्री भगवान सिंह रघुवंशी

2. श्री प्रेम शंकर, वयस्क,

पुत्र श्री बारेलाल रघुवंशी

3. श्री फूल सिंह, वयस्क,

पुत्र श्री बारेलाल रघुवंशी

4. श्रीमती आशा बाई

पत्नि श्री केशव सिंह रघुवंशी

सभी चारों निवासीगण-ग्राम चंदन पिपलिया

तहसील सिलवानी, जिला रायसेन म.प्र. -- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से माननीय अनुविभागीय अधिकारी सिलवानी, जिला रायसेन

निंरतर.....2

द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं. 24/अपील/ए–6/11–12 में दिनांक 16.08.16 को प्रकरण गोमती बाई तथा अन्य विरूद्ध केशव सिंह में धारा 5 अवधि विधान एंव धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं. पर पारित आदेश से परिवेदित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत की जाती है:–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3403-पीबीआर/2016 जिला रायसेन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-18	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0एन0मालवीय एवं अनावेदक की ओर से श्री रमेश सक्सैना अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	